

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला-शीतलाखेत मोटर मार्ग के डाठ से ग्राम मटीला की अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का कार्य लम्बाई 4.00 कि०मी०

19

संलग्नक सं०-2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश

सं०-563/III(2)/19-51-(एम०एल०ए०)/2017 टी०सी०-1, दिनांक 04 फरवरी,

2019 के द्वारा 4.00 कि०मी० की लम्बाई हेतु 16.96 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग काकड़ीघाट शीतलाखेत मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है तथा ग्राम मटीला में समाप्त हो जाता है। उक्त मोटर मार्ग में आरक्षित, सिविल बेनाप भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। ग्राम मटीलामें सब्जी, दूध, फल, दाल उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है किन्तु मोटर मार्ग की सुविधा न होने के कारण काश्तकारों को उत्पाद बाजार तक पहुँचाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों को अस्पताल, बाजार व स्थानीय उत्पादों को बाजार पहुँचाने व यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए अन्य कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।

संरेखण न०-1(लाल रंग से):- इस संरेखण को नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित, सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00कि०मी० आती है।

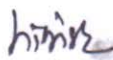
संरेखण न०-2(हरे रंग से):- इस संरेखण को नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित, सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि०मी० आती है।

इस संरेखण में वृक्षों का पातन अधिक हो रहा है एवं तकनीकी दृष्टि से भी यह संरेखण उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता, ढाल न्यूनतम वृक्षों की क्षति तथा आर्थिक व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संरेखण सं० 1(लाल रंग से) उपयुक्त पाया गया है इसी संरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया है। अतः लो०नि०वि० के पक्ष में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।



अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



अधिशसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा